

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

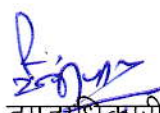
प्रथम पक्ष— डमरूधर साहु उम्र 52 वर्ष पिता बंधु साहु सा० नाथपुर जुरा बगैरह.....।

बनाम

वाद सं० 60/2020

द्वितीय पक्ष— शम्भु नाथ सिंह उम्र 51 वर्ष पिता स्व० भुनेश्वर सिंह सा० नाथपुर जुरा टोली थाना पालकोट जिला गुमला बगैरह..।

शम्भु नाथ सिंह सा० - एक ओर का किता

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
<u>1</u> 23/4/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 28/2020 दिनांक 07/11/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) डमरूधर साहु उम्र 52 वर्ष पिता बंधु साहु सा० नाथपुर जुरा टोली थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) शम्भु नाथ सिंह उम्र 51 वर्ष पिता स्व० भुनेश्वर सिंह सा० नाथपुर जुरा टोली थाना पालकोट जिला गुमला के बीच चापनल का पानी भरने को लेकर अपासी विवाद है। उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षों के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	